संख्या : 264 /59-2-2011-19 (खा)/2009

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 11/4/2011

विषय : **उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों की व्यावहारिक प्रशिक्षण (आयोजनेत्तर) हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राविधानित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या 01/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0-व्य0प्र0यो0 2011-12 दिनांक 07.04.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1960 की धारा-28(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवकों/उद्यमियों को वित्तपोषण से पूर्व प्रशिक्षित करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपये 40,00,000.00 (रूपये चालीस लाख मात्र) में से प्रथम छःमाह के लिए धनराशिरूपये 20,00,000.00 (रूपये बीस लाख मात्र) संलग्न फांट के अनुसार निदेशक कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय बोर्ड के अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही किया जायेगा।

प्राचार्य/ग्रा.प्रशि.
4/
20.04.11

2. उक्त धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में दिये गये निर्देशों तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रभारी, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारियों द्वारा प्रपत्र बी0एम0-13 में दो प्रतियों में शासन व सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

5. उक्त धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद या उनके द्वारा मनोनीत अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एवं आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए उपलब्ध रहेगा।

6. उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 की अनुदान संख्या-05 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनेत्तर-105-खादी ग्रामोद्योग-11-खादी बोर्ड की वित्तपोषित इकाईयों का व्यावहारिक प्रशिक्षण (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

8. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या : 2264 (1)/59-2-2011-19(खा)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. जिलाधिकारी/प्रभारी, मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बहराइच, इलाहाबाद, जालौन, शाहजहांपुर, मथुरा, बिजनौर।
8. गार्ड फाइल
9. एन0आई0सी0 नियोजन विभाग

आज्ञा से,

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या-284 /59-2-2011 दिनांक 11/4/2011 का संलग्नक

व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना वर्ष 2011-12 (आयोजनेत्तर) हेतु वित्तीय स्वीकृति

क्रमांक	केन्द्र का नाम	धनराशि (लाख रू0 में)	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ	2.00	100
2.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, खजनी, गोरखपुर	2.00	100
3.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, बहराइच	1.50	75
4.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अनुआं, इलाहाबाद	2.00	100
5.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, आहोपट्टी, आजमगढ़	1.50	75
6.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, रतनपुरा, मऊ	1.00	50
7.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन	3.00	150
8.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, पिपरौला, शाहजहांपुर	1.50	75
9.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, अडिंग, मथुरा	2.00	100
10.	मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, नजीबाबाद, बिजनौर	3.50	175
	योग	**20.00**	**1000**

(रूपये बीस लाख मात्र)

(डा0 अशोक चन्द्र)
संयुक्त सचिव